150

सं0– 1661 / उन्तीस(2) / 011–2(03पे0) / 2007

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 12 दिसम्बर, 2011

विषयः **गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यो के अन्तर्गत हरिद्वार / ऋषिकेश में प्रदूषण नियंत्रण कार्यो हेतु गंगा कार्ययोजना (70 प्रतिशत के0पो0) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या J-11011/5/2003-NRCD-ii दिनांक 10.11.2006 द्वारा हरिद्वार एंव ऋषिकेश में गंगा पदूषण एवं नियत्रण कार्यो हेतु 7 प्राक्कलनों की अनु0लागत ₹ 4715.00 लाख की धनराशि पर 70:30 केन्द्रॉश / राज्यॉश के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार के पत्र संख्या J-39011/2/2001-NRCD-ii दिनांक 22.12.2006 द्वारा योजना के अनु0लागत ₹ 4715.00 लाख का 70 प्रतिशत केन्द्रॉश ₹ 3300.50 लाख के सापेक्ष ₹ 825.00 लाख, पत्र संख्या J-39011/2/2001-NRCD-ii(Vol II) दिनांक 03.02.09 द्वारा ₹ 150.00 लाख एवं पत्र संख्या J-39011/2/2001-NRCD-ii(Vol.ii) दिनांक 15.05.2009 द्वारा ₹ 1500.00 लाख अर्थात कुल ₹ 2475.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जो कि योजना की लागत ₹ 4715.00 लाख पर 70 प्रतिशत केन्द्रांश ₹ 3300.50 लाख का लगभग 75 प्रतिशत बनता है। योजना की लागत पर 30 प्रतिशत राज्यांश ₹ 1414.50 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या 32 / उन्तीस(2) / 06–2(03पे0) / 2007 दिनांक 23.03.2007 द्वारा ₹ 186.08 लाख, शासनादश संख्या 2071 / उन्तीस(2) / 06– 2(03पे0) / 2007 दिनांक 11.12.08 द्वारा रू0 167.55 लाख तथा 241(1) / उन्तीस(2) / 08–2 (03पे0) / 2007 दिनांक 05.03.2009 द्वारा ₹ 45.00 लाख, शासनादेश संख्या 934 / उन्तीस(2) / 09–2 (03पे0) / 2007 दिनांक 23.09.2009 द्वारा ₹ 300.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 149 / उन्तीस(2) / 10–2 (03पे0) / 2007 दिनांक 02.02.2010 द्वारा ₹ 362.35 लाख अर्थात् कुल ₹ 1060.98 लाख राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की गयी है, तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 2097 / नियोजन अनुभाग / धनावंटन प्रस्ताव / 49 दिनांक 01.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में गंगा कार्य योजना (70 प्रतिशत के0पो0) अतिरिक्त कार्य के अन्तर्गत हरिद्वार / ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यो हेतु राज्यांश ₹ 80.00 लाख (₹ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(I)- उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का भुगतान ऐसी योजनाओं हेतु किया जाय, जो पूर्ण हो चुकी हैं।

(II)- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा

क्रमश.....2

आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

(III)- केन्द्रॉश/राज्यॉश से निर्मित योजना के कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन/भारत सरकार को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(IV)- भूमि हस्तान्तरण नहीं होने के फलस्वरूप रूकी योजनाओं में उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय न किया जाय एवं भूमि हस्तानान्तरण के पश्चात् राज्यांश की अगली किश्त अवमुक्त का प्रस्ताव किया जाय।

(V)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यो का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

(VI)- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगे।

(VII)- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(VIII)- व्यय करते समय बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं उक्त के क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(IX)- योजना इसी लागत में पूर्ण कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब व अन्य कारणों से लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(X)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

((XI)- कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(XII)- उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 32/उन्तीस(2)/06–2(03पे0)/2007 दिनांक 23.03.2007 एवं तत्सम्बंधी शासनादेश संख्या 2071, दिनांक 11.12.08 तथा शासनादेश संख्या 241 दिनांक 05.03.2009 में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत् रहेगी।

2– **उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई–आयोजनागत–107 मल निकासी सेवायें– 01– केन्द्रीय आयोजनागत–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–गंगा कार्ययोजना (70प्रतिशत के0स0) अतिरिक्त कार्य–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे"** डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–518/XXVII(2)/2011 दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

क्रमश.....3

पृ0सं0 /661(i)/ उन्तीस(2) / 11–2(03पे0) / 2007,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायू मण्डल।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2 / वित्त(बजट सैल) / राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,उत्तराखण्ड देहरादून
13. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।